न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0 12/2025 (जी.सी.एम.एस.नम्बरः 2025/142)

पीठासीन अधिकारीः-श्री देवी सिंह
(R.A.S)

उनवान

रविन्द्र पुष्पध पुत्र तोता जाति माली निवासी कस्बा डीग तहसील डीग हाल आबाद अलवर सी-47 रनजीत नगर, अलवर (राज0)

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 24.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 3450/0.63 वाके ग्राम मालपुर तहसील डीग में स्थित है। जिसमें प्रार्थी हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार दर्ज होकर काबिज है। प्रार्थी का नाम जमाबन्दी तैयार करते समय रविन्द्र प्रसाद पुत्र तोता दर्ज कर दिया है,जबकि प्रार्थी का सही नाम रविन्द्र पुष्पध पुत्र तोता है। प्रार्थी के आधार कार्ड में रविन्द्र पुष्पध पुत्र तोता दर्ज है व प्रार्थी ने सन 1958 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी उसमें भी रविन्द्र पुष्पध पुत्र तोता दर्ज है व प्रार्थी ने एल.एल.बी. की परीक्षा सन 1964 में पास की थी उसमें भी प्रार्थी का नाम रविन्द्र पुष्पध दर्ज है। प्रार्थी का बार काउन्सिल जोधपुर में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें भी प्रार्थी का नाम रविन्द्र पुष्पध दर्ज है। इस प्रकार सभी जगह प्रार्थी का नाम रविन्द्र पुष्पध पुत्र तोता है परन्तु प्रार्थी के पिता तोता के गुजर जाने के बाद दाखिल खारिज खोलते समय प्रार्थी का गलत तरीके पर रविन्द्र प्रसाद पुत्र तोता दर्ज कर दिया है जोकि गलत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार की जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में रविन्द्र प्रसाद पुत्र तोता कलमजन कर रविन्द्र पुष्पध पुत्र तोता दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांकः एलआर/2025/2391 दिनांक 23.07.2025 में अंकित किया गया है कि "रविन्द्र पुष्पध पुत्र तोता जाति माली निवासी कस्बा डीग हाल आबाद निवास सी-47 रंजीत नगर अलवर जिसका नाम आराजी खसरा नम्बर 3450/0.63 वाके ग्राम मालपुर में दर्ज नाम रविन्द्र प्रसाद जोकि विरासत से आया है, जोकि गलत है। रविन्द्र प्रसाद का सही नाम रविन्द्र पुष्पध राजस्व रिकार्ड में होना चाहिए।"

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। मुताविक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी का नाम रविन्द्र प्रसाद पुत्र तोता के स्थान पर रविन्द्र पुष्पध पुत्र तोता किये जाने का अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में आराजी खसरा नम्बर 3450/0.63 वाके ग्राम मालपुर तहसील डीग में वर्णित रविन्द्र प्रसाद पुत्र तोता के स्थान पर रविन्द्र पुष्पध पुत्र तोता किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है कि:-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 3450/0.63, वाके ग्राम मालपुर तहसील डीग जिला डीग में वर्णित रविन्द्र प्रसाद पुत्र तोता के स्थान पर रविन्द्र पुष्पध पुत्र तोता जाति माली निवासी कस्बा डीग जिला डीग(राज0) हाल निवास सी-47 अलवर(राज0) दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
डीग (भरतपुर) राज.